11

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलेक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो I S 15700

संख्या 2183 /नि0प्रा0–05/15–16/वा0नि0–1–मेरठ दिनांक 21/7/2016

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय
द्वारा श्री ओम प्रकाश शर्मा
68, कम्बल वाला बाग
नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।

विषय :– व्यवसायिक भूखण्ड सं0 – सी0पी0–01, शकुन्तलम योजना, मुजफ्फरनगर हेतु स्वीकृत मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड सं0–सी0पी0–01, शकुन्तलम योजना, मुजफ्फरनगर पर कार्यालय/स्टाफ हाउस के निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 18–7–2016 पर विचारोपरान्त मुख्य वास्तुविद नियोजक द्वारा दिनांक 19–7–2016 को प्राप्त अनुमोदन के कम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष होगी। दिनांक 21/7/16 से 20/7/2021 तक
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–6 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयवृद्धि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है, तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
6. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल **3787.89 वर्गमी0** (जिसमें नान–एफ0ए0आर0 क्षेत्र भी सम्मिलित है) के लिये **3593.32 व0मी0** भूखण्ड पर प्रदान की गयी है, स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
7. यह स्वीकृति **G/Stilt+3** हेतु प्रदान की गयी है।
8. भूखण्ड में अनुमन्य आवंटी तथा केतागण अपने वाहन को भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़ा करेगें जिससे बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो इसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. विजिटर्स पार्किंग का प्राविधान भूखण्ड बाउण्ड्री के बाहर न करके भूखण्ड परिसर के अन्दर ही करना होगा।
10. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा जिससे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम पता अंकित होना अनिवार्य है।
11. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
12. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि ग्रुप हाउसिंग भवनों में हो रहे कियान्वयन से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस कियाकलाप को राकेने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
13. शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित भूखण्ड पर 50 पेड़/हैक्टे0 की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
14. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
15. समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
16. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751/ 9–आ0–भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है, जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।

कमशः—2

Scanned by CamScanner

17. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरठ ने अपने पत्र संख्या–एफ0एस0–भ–2/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–16(मुजफ0)/512 दिनाँक 03–7–2016 के द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी/उपनिदेशक उ0प्र0 फायर सर्विसेज, मेरठ से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

18. आवंटी द्वारा सलंग्न प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना होगा। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट–6 प्रपत्र–ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

19. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।

सलंग्नकः उपरोक्तानुसार।

1. आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सैट–(11 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन का एक सेट –(25 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सेट पे0 1 से 2519 02 नग पृष्ठ)
4. उप निदेशक, फायर सर्विसेज मेरठ से अनुमोदित मानचित्र/ एन0ओ0सी0 की प्रति। –(18 नग शीट्स)

21/7/16

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0:– 2183 /उक्त / दिनांकः 21/7/2016

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–6, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को उपरोक्त संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रारूप–ब के अनुसार यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी द्वारा उपरोक्त शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, एम0आई0जी0–108, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर ।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरठ को प्रपत्र 'च' तथा अग्निशमन सम्बन्धी मानचित्रों के एक सेट सहित।
5. उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरनगर।

21/7/16

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner